

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20072020-220597
SG-DL-E-20072020-220597

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2020/आषाढ 29, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 69
No. 133]	DELHI, MONDAY, JULY 20, 2020/ASADHA 29, 1942	[N.C.T.D. No. 69

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

l fpo&lg&eMyh; vk;Dr dk dk;k;y;

½jk tLo foHkkx½

½l kekU; i:'kk lu foHkkx½

vf/k l puk

दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

Qk- I- 36½52½@ le-@e.Myh; vk;Dr@2016@272&290—गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 19 अगस्त 1996 की अधिसूचना सं. यू. 11030/2/96/यूटीएल-एसओ-572 (ई) के साथ पठित वक्फ अधिनियम 1995 (1995 का 43) की धारा 14 की उपधारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री परवेज़ हाशमी, भूतपूर्व संसद सदस्य, राज्य सभा, निवासी मकान नं० 26, जामिया नगर, ओखला, दिल्ली-110025 को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14(1) (ख) (i) के अन्तर्गत दिल्ली वक्फ बोर्ड के निर्वाचित सदस्य के रूप में तथा श्री अजीमुल हक, आईएएस (एजीएमयूटी-2007) विशेष सचिव (गृह) को तत्काल प्रभाव से शेष

कार्यकाल के लिए उक्त अधिसूचना द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (1) (ई) के अन्तर्गत दिल्ली वक्फ बोर्ड के नामित सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (राजस्व)—सह—मंडलीय आयुक्त

OFFICE OF THE SECRETARY—CUM-DIVISIONAL COMMISSIONER

(Department of Revenue)

(GENERAL ADMINISTRATION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 20th July, 2020

F. 36(52)/Coord./Div.Comm/2016/272-290.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), read with Notification No. U. 11030/2/96 UTL-SO 572 (E) dated the 19th August, 1996, published in part-II, section 3, sub-section (ii) of Gazette of India, issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs. The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Mr. Parvez Hashmi, Ex- Member of Parliament, Rajya Sabha, r/o H. No. 26, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025, as elected member of Delhi Waqf Board u/s 14(1) (b) (i) of Waqf Act 1995 and Mr. Azimul Haque, IAS (AGMUT-2007) Special Secretary (Home) as nominated member of Delhi Waqf Board u/s on 14(1) (e) of Waqf Act 1995 vide said notification for the remaining tenure with immediate effect.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Pr. Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner